## प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/97314/BLR/BULANDSHAHR/1628/CFO

प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या

दिनांक: 07-10-2023

ब्लॉक/टावर

निर्गत किये जाने का दिनांक: 25-10-2023

स्थान : BULANDSHAHR


प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SHAKUNTALA DEVI POONAM DEVI PUBLIC SCHOOL पता Khet No.- 306,Rajeshwar Enclave Near By Block Office,Anoopshahr तहसील - Anoopshahr प्लाट एरिया 2006.45 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1745.99 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

बेसमेन्ट की संख्या

THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		The second secon	The state of the s
SDPD SCHOOL	2	0	07.35 mt.
है। भवन का अधिभोग मेसर्स	SHAKUNTALA DEVI POONAM DEVI PUBL	IC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है।	इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण
एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, ए	न0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आइ	ई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित क	रायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण
द्वारा दिनांक 22-10-2023	को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री And	kur Sharma के साथ किया गया। भ	वन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्ष
व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार	अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि	। सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिपि	क्रेकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग
श्रेणी Educational के अन	नर्गत वैधता तिथि 25-10-2023 से 24-10-2026	तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ नि	नेर्गत किया जा रहा है कि भवन मं
नियमानुसार स्थापित सभी अ	ग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील	न बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित	की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं म
पायी गयी कमी के कारण वि	केसी भी घटना के लिए मेसर्स SHAKUNTALA DI	EVI POONAM DEVI PUBLIC S	CHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप सं
जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समय	ावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत	त अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ई
निरस्त मान लिया जायेगा, जि	सके लिए मेसर्स SHAKUNTALA DEVI POONA	M DEVI PUBLIC SCHOOL अधि	भोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/
होगें।			

## यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखाँ , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

\*No objection raised by FSO after ground inspection\*Explosive material shall not be stored inside or near the school\*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt, competent authority\*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system\*Internal evacuation and disaster plan to be made and practice it in regular intervals under guidance of Department\*All Fire and Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection\*This certificate is issued on the basic of FSO ground inspection report & Doc.



(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PARMOD SHARMA

698D5483C22E1EFD643C86DCC68475C7DC2B8614

25-10-2023

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.